भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 394

(दिनांक 24.07.2024 को उत्तर देने के लिए)

टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित अश्लील विज्ञापनों पर रोक

394. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान में भी विभिन्न टेलीविजन चैनलों द्वारा सिगरेट, तंबाकू और शराब के कुछ विज्ञापन प्रसारित किए गए और किए जा रहे हैं;

(ख) क्या दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा भी बड़े पैमाने पर अश्लील विषय-वस्तु का प्रसारण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान अश्लील विज्ञापनों/विषय-वस्तु के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कोई सुझाव अथवा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): प्राइवेट सैटेलाइट टी.वी. चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी विज्ञापनों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके तहत बनाए नियमों के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है। विज्ञापन संहिता अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करती है कि किसी भी विज्ञापन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, मदिरा (वाइन), शराब, मद्य या अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, बिक्री और उपभोग को प्रोत्साहित करने की अनुमति नहीं होगी।

(ख) और (ग): दूरदर्शन चैनल सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, मदिरा, शराब, मद्य या अन्य मादक पदार्थों सहित अश्लील विज्ञापन/सामग्री का विज्ञापन प्रसारित नहीं करते हैं। दूरदर्शन प्रसार भारती की कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुसार कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारित करता है।

(घ) और (ङ): पिछले 3 वर्षों के दौरान, 2021 से 18.07.2024 तक, सरकार को अश्लील विज्ञापनों/सामग्री सहित विज्ञापन संहिता के कथित उल्लंघन संबंधी कुल 492 जन शिकायतें/परिवाद/सुझाव प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत एक तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें प्रसारकों द्वारा स्व-विनियमन, प्रसारकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन और केंद्र सरकार का निगरानी तंत्र शामिल है। सरकार केवल उन्हीं मामलों में उचित कार्रवाई करती है जहाँ कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन सिद्ध होता है।
